

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA



फैक्स व दूरभाष + 91-135-2744064
Fax-cum-Telephone: +91-135-2744064
Website/ वेबसाईट www.surveyofindia.gov.in
E-Mail/ई-मेल : sgo.conf.soi@gov.in



भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय
OFFICE OF THE SURVEYOR GENERAL OF INDIA
हाथी बडकला एस्टेट, डाक बाक्स संख्या 37,
Hathi Barkala Estate, Post Box No.37,
देहरादून – 248001 (उत्तराखण्ड), भारत
DEHRA DUN – 248001 (UTTARAKHAND) INDIA

संख्या CP -2530 /1077-ग्रेड-I(26733)

दिनांक 31 दिसम्बर 2025

सेवा में,

अपर महासर्वेक्षक :- उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली / पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता ।

निदेशक :- उत्तर प्रदेश जी0डी0, लखनऊ / असम एवं नागालैण्ड जी डी, गुवाहाटी / झारखण्ड एवं बिहार जी डी, राँची
पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़ जी0डी0, चण्डीगढ़ / ओडिसा एवं छत्तीस गढ़ जी डी, भुवनेश्वर ।

विषय: स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी – II से स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी – I के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति आदेश - (डी0पी0सी0- 2026).

निम्नलिखित स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी – II को स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी – I (ग्रुप 'सी') के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-5 में नियमित आधार पर पदोन्नति के आदेश दिये जाते हैं। यह आदेश दिनांक 01 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगे। :-

Sl. No.	Name of Officer	Present Office	New Place of Posting
1.	Shri Sunil Kumar	Uttar Pradesh GD, Lucknow	Uttar Pradesh GD, Lucknow
2.	Shri Miraj Uddin Barbhuiya	Tripura, Manipur & Mizoram Wing, Silchar	Tripura, Manipur & Mizoram Wing, Silchar
3.	Shri Mridul Roy	Assam & Nagaland GD, Guwahati	Assam & Nagaland GD, Guwahati
4.	Shri Vikas Kumar	Bihar Wing, Patna	Bihar Wing, Patna
5.	Shri Suresh Kumar	Punjab, Haryana, Himachal Pradesh & Chandigarh GD, Chandigarh	Punjab, Haryana, Himachal Pradesh & Chandigarh GD, Chandigarh
6.	Shri Rakesh Kumar Nagwanshi	Chhattisgarh Wing, Raipur	Chhattisgarh Wing, Raipur

2. उपरोक्त कार्मिकों की पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तारीख से प्रभावी होगी। इस पदोन्नति आदेश को इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर लागू किया जाए अर्थात् उपरोक्त कार्मिकों को यथासमय कार्यमुक्त करें ताकि संबंधित कार्मिक 01 माह की निर्धारित समय सीमा में अपने नए तैनाती स्थान / स्टेशन पर रिपोर्ट कर दें।

3. अनुसूचित जाति/जनजाति के कार्मिक के कास्ट स्टेटस Caste Status एवं PwBD Category सम्बन्धी कार्मिक के प्रमाण-पत्र के पुनः सत्यापन के विषय में आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित निदेशालय द्वारा उनके पदोन्नति पर रिपोर्ट करने पर की जाये तथा यह भी स्पष्ट कर दिया जाय कि पुनः सत्यापन के पश्चात् यदि उक्त कार्मिक अनुसूचित जाति/जनजाति/ PwBD Category से सम्बन्धित नहीं पाये गये तो उन्हें तत्काल उनके मूल पद पर पदावनत कर दिया जायेगा।

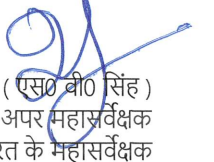
4. उपरोक्त कार्मिकों को पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन नियतन के लिए एफ0आर0 22 (1) (क) (1) के अधीन अपना विकल्प भी देना होगा तथा यदि उपरोक्त कार्मिकों में से किसी कार्मिक को एम0ए0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत एफ0आर0 22(1)(क)(1) का लाभ मिल चुका है तो उनका वेतन नियतन निर्धारित नियमों के अनुसार करें।

5. यदि उपरोक्त कार्मिकों के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक मामला या दण्ड प्रक्रिया संबंधित कार्यालय में लम्बित हो तो उपरोक्त आदेश प्रभावी न किए जाएं।

6. These promotion orders are according to the instructions mentioned under para 4 of DoP&T's OM No. 36012/11/2016-Estt. (Res-I) (Pt-II) dated 15-06-2018. The select list of the panel will be subject to the outcome of SLP (C) No.30621/2011(Jarnail Singh & Orhers Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.

क्रमशः पृष्ठ ...2 ..पर जारी

7. पदोन्नत सभी कार्मिको से संलग्न Undertaking प्राप्त कर लें तथा कार्मिको की सेवा पंजिका में अभिलेख हेतु रखें।


(एसवी सिंह)
अपर महासर्वेक्षक
कृते भारत के महासर्वेक्षक
sv.singh.soi@gov.in
0135-2740667

प्रतिलिपि:-

- 1) भारत के महासर्वेक्षक के वरिष्ठ निजि सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2) लेखाधिकारी, केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून।
- 3) लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, हैदराबाद / जयपुर / कोलकाता।
- 4) प्रभारी :- त्रिपुरा, मणिपुर एवं मिजोरम विंग, सिलचर / बिहार विंग, पटना / छत्तीस गढ़ विंग, रायपुर।
- 5) कार्यालय अधीक्षक: स्थापना अनुभाग / कार्य अध्ययन एक्क/जे0सी0एम0 अनुभाग (म0स0का0)।
- 6) ए0पी0ए0आर0, अनुभाग (म0स0का0)।
- 7) इंचार्ज ई-आफिस (म0स0का0)।
- 8) इंचार्ज वैब एडमिन(म0स0का0)।

UNDERTAKING

I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the outcome of *the SLP (C) No. 30621/2011 (Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.*

Place:

Date:

Signature:

Name of Officer:

Office:

COUNTERSIGNED BY ADDL SG / DIRECTOR

वचन पत्र

मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं माननीय कोर्ट के वाद *SLP (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter* के निर्णय का पालन करूँगा।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर:

कर्मचारी का नाम:

कार्यालय:

अपर महासर्वेक्षक / निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित